सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 408 राँची, सोमवार

25 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

15 जून, 2015 (ई०)

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

संकल्प

15 जून, 2015

विषय :-झारखण्ड राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरह एक उत्कृष्ट संस्थान की स्थापना हेतु बिरसा कृषि विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र गौरियाकरमा, बरही, जिला-हजारीबाग की भूमि में से 1000 एकड़ भूमि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को नि:शुल्क हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-5/बी0ए0यू0(HRD)-25/2014/2203-- झारखण्ड राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान सदृश्य एक संस्थान को स्थापित कर राज्य में कृषि के विकास हेतु नई तकनीक एवं कृषि पद्धति मुहैया कराये जाने के उद्देश्य से उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-423 दिनांक 12 फरवरी, 2015 द्वारा चिन्हित गौरियाकरमा कृषि प्रक्षेत्र की 1000 एकड़ भूमि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत सरकार को नि:शुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प सं0-4306 दिनांक 24 अक्टूबर, 14 की कंडिका-4 (f) को शिथिल करते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 09 जून, 15 के मद संख्या-6 में सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है ।

भूमि की विवरणी

जिला-हजारीबाग, अंचल-बरही, ग्राम-गौरियाकरमा

	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़ में)
	8592	8.10
	8361	2.40
	8589	7.13
	8590	20.00
	8513	80.80
	8514	79.00
	8511	53.50
अंचल का नाम- बरही	8509	20.32
ग्राम का नाम- गौरियाकरमा	8508	74.00
थाना संख्या-02	8594	5.10
खाता संख्या-01	8595	7.47
	8593	147.00
	8659	4.70
	8666	193.44
	8658	27.90
	8648	10.25
	8657	50.50
	8668	25.50
	8646	9.78

	8623	28.50
	8624	67.49
	8643	3.06
	8639	6.38
	8647	7.79
	8645	37.50
	8629	1.12
	8641	0.96
	8642	2.01
	8636	4.02
	8637	1.64
	8638	0.07
	8640	1.11
	8634	2.10
	8635	1.04
	8633	4.14
	8632	2.37
	8630	1.06
	8631	0.72
	8644	0.03
	कुल रकबा (एकड़ में)	1000.00

2. उक्त भूमि को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के तर्ज पर झारखण्ड में एक उत्कृष्ट संस्थान **(Institution of Excellence)** की स्थापना हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत सरकार को नि:शुल्क हस्तांतरित की जा रही है ।

3. उद्देश्य एवं प्रयोजन से भूमि का भिन्न उपयोग किये जाने अथवा योजना में किसी भी तरह के बदलाव होने की स्थिति में राज्य सरकार को पुर्वानुमति आवश्यक होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 नितिन मदन कुलकर्णी,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गज़ट (असाधारण) 408–50 ।